

*(Handwritten signature)*

में तक दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है  
वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस  
प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ।  
उपस्थित आय। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जारिये अभिभाषक  
गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जारिये अभिभाषक  
निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलबी जारिये समन की  
संख्या - आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त करमाय जाने का निवेदन किया गया है।

पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा जारी कर्जी तरीके से जारी पट्टा विलेख  
संख्या - फसला दिनांक 21.11.2017 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध  
मिलकर राज्य सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्जी तरीके से पट्टा  
संख्या - के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से  
तहत ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा जारी पट्टा विलेख  
निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के

दिनांक 23.02.2026

### निर्णय

उपस्थित - श्री तौकीक अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।  
श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

.....विपक्षीगण

1. सुश्रीव जाट पुत्र मुरारी जाट निवासी ग्राम गोटडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. सख्त, ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. उप पंचायक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

### बनाम

.....निगरानीकर्ता

विकास अधिकारी पंचायत समिति, खण्डार जिला सवाई माधोपुर



निगरानी संख्या 29/2023

जी0सी0एम0एस0 संख्या 2023/61

तारीख रज 31.07.2023

पीठासीन अधिकारी - संजय शर्मा

न्यायालय आतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

आति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

जिन्हें फर्जी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभावी अधिकांशी नियुक्त किया गया है। उक्त फर्जी पट्टे के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महेन्द्र मधोपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिक्षापरत प्राप्त होने पर माननीय जिला कलेक्टर महेन्द्र द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी प्रवायत समिति खण्डार को उक्त फर्जी पट्टा प्रकरण की जांच कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित करने पर माननीय जिला कलेक्टर महेन्द्र को दिनांक 28.12.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट पेश होने पर माननीय जिला कलेक्टर महेन्द्र द्वारा दिनांक 28.06.21 को तीन सदस्यी जांच समिती गठित की गई जांच समिती द्वारा दिनांक 19.08.21 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में उक्त शिक्षापरत सही पाई गई तथा जांच किसे गये पट्टे फर्जी तरीके से पाई जांच रिपोर्ट में उक्त फर्जी पट्टा प्रवायत समिति खण्डार को उक्त फर्जी पट्टे से मिलकर राज जांच किसे जाना गया। यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी तरीके से पट्टा संख्या - फूसला दिनांक 21.11.17 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध व असत्य तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करते समय उचित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। उक्त फर्जी तरीके से जारी किसे गये पट्टा की कोई पत्रावली ग्राम प्रवायत गोटला में नहीं पाई गई और उक्त पट्टे के संबंध में नियमानुसार पट्टे की तीन प्रतियां, (जिसमें एक पट्टाधार की पास, दूसरी ग्राम प्रवायत व तीसरी प्रवायत समिति में) भी नहीं बनाई गई है। उक्त पट्टे के संबंध में कोई प्रति ग्राम प्रवायत गोटला व प्रवायत समिति खण्डार में जमा नहीं है। उक्त विवादाित पट्टा जारी करते समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी मिलीभगत करके उक्त पट्टे में जो राशि भूमि विकय के संबंध में फर्जी तरीके से दर्शाई गई है उक्त भूमि विकय राशि - रु० का इन्दाज ग्राम प्रवायत गोटला में उपलब्ध रसीदों में उक्त राशि का इन्दाज ही नहीं है और ना ही उक्त राशि ग्राम प्रवायत के खाते में जमा है। इस प्रकार पट्टा जारी करते समय उक्त राशि का पट्टे पर फर्जी तरीके से इन्दाज किया गया है। ग्राम प्रवायत में उक्त राशि का रसीद बुक रोकड बही में कोई इन्दाज नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने यह फर्जी इन्दाज कर फर्जी पट्टा बनाया गया है। पट्टा जारी करते समय ग्राम प्रवायत के करम में एक प्रस्ताव लिया जाता है जिसके संदर्भ में जारी करते समय प्रवायत के संकल्प संख्या 35 दिनांक 21.11.17 का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में ग्राम प्रवायत गोटला में कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त संकल्प संख्या व दिनांक पट्टे पर फर्जी तरीके से अंकित किया गया है। उक्त विवादाित भूखण्ड का बेदान फर्जी पट्टे के मद नं० 2 के अनुसार आपसी बातचीत पर बेदान बताया गया है जबकि प्रवायत किस्सी भी आबादी भूमि को प्रदेवत बातचीत के द्वारा विकय तब ही कर सकेगी जब उक्त भूमि के विकय करते समय नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकेगी जबकि उक्त प्रकरण में उक्त विवादाित भूखण्ड के नीलामी के माध्यम से बेदान की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई और ना ही उक्त भूखण्ड की वर्तमान बाजार दर से राशि प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा समूर्ण फर्जी प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु फर्जी तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 21.11.17 से पट्टा संख्या - जारी किया गया है जो निरस्त किसे जाने योग्य है। उक्त विवादाित पट्टा में फूसला दिनांक 21.11.17, प्रवायत का संकल्प दिनांक 21.11.17

अति. विभाग कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

2

वकील निगरानीकर्ता ने प्रत्यक्ष बहस में तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा RLR 1999(2) Sualal & ors. V/s State of Raj. & ors. पेश की।

माननीय उच्च न्यायालय की साइटेशन, 1999 DNU [Raj.] पृष्ठ संख्या 781 रामेश्वर बनान पेश की गई है जो खरिज किये जाने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा होने के तीन वर्ष बाद जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिये हैं। उक्त निगरानी मियाद बाहर उल्लिखित नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में यह तर्क भी दिया कि उक्त पट्टा जाही अधिकारी पंचायत समिति खण्डार का उक्त प्रकरण में किस प्रकार का हित है यह पत्रावली में न्यायालय द्वारा में चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि विकास पट्टा है जिस खरिज करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है उक्त निगरानी है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि हमारे द्वारा प्राप्त पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा प्राप्त करने की विधिवत प्रक्रिया अपनायी गई है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई पत्रावलियां मायब कर उक्त नियमानुसार जाही पट्टों को फर्जी बताया गया है। जबकि उक्त जमा नहीं करने के लिए हम उल्लेखित नहीं है। ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने जानबूझकर द्वारा निर्धारित की गई राशि जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई है। उक्त जमा राशि रिकार्ड में पट्टा प्राप्त में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत करने के बाद नियमानुसार उप पंजीयक के यहां पट्टा पंजीकृत करवाया गया है। हमारे द्वारा उपरान्त हमारे द्वारा नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। पट्टा प्राप्त द्वारा विवादित भूखण्ड का मौका मुआयना किया गया। मौका मुआयना करके कमेटी की रिपोर्ट के किये तथा उक्त संबंध में किसी भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी पंचायत में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से निरस्त करमाई जावे।

तरीके से ग्राम पंचायत गौडडा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या - आदेश दिनांक 21.11.2017 को की निगरानी स्वीकार करमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी पुनरीक्षण प्राधिकारी के रास्ते में विलेख का बिन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता तथा अवैधानिक तरीके से जारी किये गए हैं। ऐसे पट्टों को रूनीती का संधारण करते समय भी समान है जिससे पट्टे का फर्जी होना साबित होता है। उक्त विवादित पट्टा छल, भ्रष्टाचार डबारा फर्जी तरीके से अंकित की गई है। उक्त विवादित पट्टे पर मिसल संख्या व पट्टा संख्या ही प्रक्रिया के संबंध में कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत गौडडा में नहीं है। इस कारण पट्टों पर सम्पूर्ण मिला भगत करके एक ही दिन में पट्टे के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया गया है। तीनों व भूमि बेचान राशि जमा करने की दिनांक 21.11.17 एक ही समान है अर्थात् विपक्षीगण द्वारा

सवाईमाधीपुर  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
(संजय शर्मा)



निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।  
निरस्त किया जाता है।  
जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.17 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या -  
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करमायी  
संख्या - आदेश दिनांक 21.11.17 खारिज होने योग्य है।  
तरीके से जारी किये गए पट्टे का पंजीकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा  
पंजीकरण करा लिया गया है चूंकि जांच रिपोर्ट से पट्टा फर्जी प्रमाणित होता है। अतः फर्जी  
सरकार एवं अन्य इस प्रकार में चरमा नहीं होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का  
द्वारा पक्ष की गई नजीर 2021(2) C.I.V.(SC) पृष्ठ संख्या 1012 गोपाल पटेल बनाम राजस्थान  
अनुसार उक्त पट्टे संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत गोटडा में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1  
के जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत गोटडा से प्राप्त पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 के  
पत्रावली में उपलब्ध जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पट्टा फर्जी तरीके से बिना रिकार्ड  
उक्त पट्टा संख्या - आदेश दिनांक 21.11.17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।  
पट्टे है कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत  
06.2024 व प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर  
वकील उमय पक्ष की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.  
2015(2)DNJ[Raj.] पृष्ठ संख्या 595 राजू बीता बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पक्ष की।  
2017(1)C.I.V.(Raj.) पृष्ठ संख्या 268 श्रीमती शांति देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा  
2017(2)C.I.V.(Raj.) पृष्ठ संख्या 1185 मांगी लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य,  
2019(1)C.I.V.(Raj.) पृष्ठ संख्या 230 श्रीमती उषा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य,  
साईटेशन 2019(1)C.I.V.(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य,  
प्राप्त है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की  
उक्त पट्टे के पंजीकृत होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा खारिज करने का अधिकार  
पट्टे के क्षत्राधिकार के संबंध में तर्क दिया चूंकि उक्त पट्टे शुरू से ही अवैधानिक है इसलिए